भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3737

दिनांक 21 दिसम्बर, 2021/ 30 अग्रहायण, 1943 (शक) को उत्तर के लिए

मलयालम भाषा विधेयक

†3737. श्री के. सुधाकरन:

एडवोकेट ए.एम. आरिफ:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल में व्यापक रुप से बोली जाने वाली भाषा मलयालम को अभी भी केरल की राजभाषा के रुप में मान्यता नहीं दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केरल सरकार ने 2015 में 'मलयालम भाषा (प्रसार और संवर्धन) विधेयक, 2015' को भारत के राष्ट्रपति की अंतिम सहमति के लिए केरल विधानसभा में पारित किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकार/केंद्रीय मंत्रालयों से इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण मांगा है और यदि हां, तो स्पष्टीकरण की प्रकृति, स्पष्टीकरण मांगने की तिथि और स्पष्टीकरण प्रदान करने की तिथि सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति देने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए समय-सीमा प्रदान करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या मलयालम भाषा विधेयक अभी भी केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए लंबित है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त होने में देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय कुमार मिश्रा)

(क) से (च): केरल सरकार ने 'मलयालम भाषा (प्रसार और संवर्धन) विधेयक, 2015' को भारत के माननीय राष्ट्रपति के विचारार्थ तथा सहमति के लिए अग्रेषित किया था। यह विधेयक दिनांक 23.02.2016 को गृह मंत्रालय में प्राप्त हुआ था। प्रथा के अनुसार इस विधेयक को दिनांक 04.03.2016 को संबंधित नोडल मंत्रालयों और विभागों अर्थात (i) विधायी विभाग, (ii) राजभाषा विभाग, (iii) न्याय विभाग, (iv) सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, (v) प्रशासनिक सुधार

और लोक शिकायत विभाग, (vi) उच्चतर शिक्षा विभाग तथा (vii) स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय को विधेयक की जांच करने और उस पर अपनी टिप्पणी प्रदान करने के लिए भेजा गया था। केंद्रीय नोडल मंत्रालयों की टिप्पणियों पर केरल सरकार से स्पष्टीकरण/टिप्पणियां मांगी गई थीं। केरल राज्य सरकार ने दिनांक 02.11.2020 को स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए थे, जिन्हें नोडल मंत्रालयों और विभागों के साथ साझा किया गया है। इस विधेयक पर भारत के माननीय राष्ट्रपति के विचारार्थ कार्रवाई, परामर्श की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद की जाएगी।

*****